



**OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX
VADODARA -I COMMISSIONERATE**

1ST FLOOR, ANNEXE, CENTRAL EXCISE BUILDING, RACE COURSE, VADODARA-390007

Telephone No. (0265) 2330499

Fax No. (0265) 2339271

TRADE NOTICE NO. 07/2017


Subject- Migration of Central Excise/Service Tax Assesseees to GST- Re-opening of GST enrollment Window on 01.06.2017 for 15 Days - reg.

Attention of all the members of Trade/Industry, Trade Association, Chambers of Commerce and Industry, RAC and all others concerned is hereby informed that GST enrolment window will re-open on June 01, 2017 for 15 days. Therefore, it is requested to all the assessee who are still left to migrate to GST may ensure that they enroll themselves on GST portal i.e. www.gst.gov.in using their Provisional ID and Password and get migrated to GST to avoid any inconvenience in future.

2. Further, Provisional IDs issued to Central Excise and Service Tax business entities registered in ACES till 31.01.2017 and not utilized by the entities are being cancelled as either not required or as non-usable. The IDs issued to entities registered in February and March 2017 or those IDs restored post State VAT cancellation are still active.
3. In case an entity needs a provisional ID to migrate to GST, please contact jurisdictional Central Excise / Service Tax officer to get the new provisional ID. In addition, an email may be sent to cbecmitra.helpdesk@icegate.gov.in from the entity's registered email ID in ACES. Kindly quote in the email subject line "**PID required to migrate to GST**" and provide your Central Excise / Service Tax Registration Number(s) in the email. Any issues faced earlier in enrolment may also be given in the email.
4. All the Trade Associations & Chambers of Commerce and members of Regional Advisory Committee of this formation are requested to circulate and publicize the contents of this Trade Notice amongst their member constituents.

Contd.....

5. Difficulties, if any, faced in this regard may be brought to the notice of this office.


24/05/17
(Sunil Kumar Singh)
Additional Commissioner,
Central Excise, Customs & S. Tax,
Vadodara - I

F.No. IV/16-IV/16-173/TradeNot.Cir/Tech/2015-16

Dated: /05/2017

Copy To:

- As per mailing list.
- Notice Board.
- The Assistant Commissioner, Central Excise, Service Tax & Customs,
C. Ex. Div. - I, II, III & IV and S. Tax Div.-I & II, Vadodara - I.
- Superintendent of Central Excise, HQ Computer Section for posting it on website.



प्रधान आयुक्त का कार्यालय,

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर, वडोदरा-1,

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, पोस्ट बॉक्स नं. 118, रेसकोर्स सर्कल, वडोदरा-390007

व्यापार नोटिस संख्या. 07/2017

विषय:- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर निर्धारितियों का जीएसटी में माइग्रेशन-दिनांक 1 जून 2017 से 15 दिनों के लिए जीएसटी एनरोलमेंट विंडो को पुनः चालू करने के बारे में


व्यापार/ उद्योग, व्यापार संघ, वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर, आरएसी एवं अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जीएसटी एनरोलमेंट विंडो 1 जून 2017 से 15 दिनों के लिए पुनः चालू की जा रही है। इसीलिए उन सभी निर्धारितियों, जिनका अभी तक जीएसटी में माइग्रेशन नहीं हुआ है, से अनुरोध है कि वह भविष्य में होने वाली असुविधा से बचने के लिए जीएसटी पोर्टल अर्थात् www.gst.gov.in पर अपनी प्रोविजनल आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग करके स्वयं को अवश्य एनरोल कराएँ तथा जीएसटी में माइग्रेट करें।

2. साथ ही, ए.सी.ई.एस.(ACES) में पंजीकृत जिन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर व्यावसायिक संस्थानों को दिनांक 31.01.2017 तक प्रोविजनल आई.डी. जारी की गयी हैं और जिसे अभी तक व्यावसायिक संस्थानों ने प्रयोग नहीं किया है उन्हें अनावश्यक अथवा अनुपयोगी मानकर रद्द कर दिया जाएगा। जिन पंजीकृत संस्थानों को यह आईडी फरवरी एवं मार्च 2017 में जारी की गयी हैं अथवा स्टेट वैट द्वारा रद्द होने के बाद रिस्टोर की गयी है वे आई.डी. अभी भी सक्रिय हैं।

3. यदि किसी संस्थान को जी.एस.टी में माइग्रेट होने के लिए प्रोविजनल आई.डी. की आवश्यकता है तो आप सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर अधिकारी से नई प्रोविजनल आई.डी. लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही, व्यावसायिक संस्थान ए.सी.ई.एस. में पंजीकृत अपनी ईमेल आई.डी. से cbecmitra.helpdesk@icegate.gov.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं। कृपया ई-मेल की विषय लाइन में "PID required to migrate to GST" अवश्य लिखें तथा उसमें अपना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर पंजीकरण नम्बर अवश्य लिखें।

4. इस आयुक्तालय के कार्य क्षेत्राधीन सभी व्यापार संघों तथा वाणिज्य चैम्बरों एवं क्षेत्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस व्यापार सूचना में बताये गए तथ्यों को अपनी संस्था के सदस्यों के बीच प्रचार/परिचालित कर दें।

5. यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो कृपया उसे इस कार्यालय के ध्यान में अवश्य लायें।


(सुनील कुमार सिंह)

अपर आयुक्त,

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर,

वडोदरा-1

प्रतिलिपि:-

- डाक सूची के अनुसार
- सूचना पट्ट
- सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल-I/II/III/IV तथा सेवाकर मंडल-I एवं II
- अधीक्षक, कम्प्यूटर अनुभाग (मुख्यालय) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, वड़ोदरा को आयुक्तालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु